| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

14/5/22

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प 2022 में पेश हुई। अप्रार्थी वादी 3001 तहसीलदार उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक/LR/22/977 दिनांक 22-4-22 के द्वारा जवाब पेश किया साथ ही अप्रार्थी वादी द्वारा PW-1 बालुआराम पुत्र भागवान सिंह एवं PW-2 डिकीराम पुत्र मांगूराम द्वारा शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

बालुआरा

मेरे द्वारा पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 RTA के तहत यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादी की आराजी ख० नं० 248/1.62, 497/0.11, 512/0.30, 624/0.41 जो कि ग्राम नेहरा ग्राम तह० उज्जैन में स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत 2075-2078 संलग्न है। उक्त वर्णित आराजी मुझ प्रार्थी की आराजी है जिसमें राजस्व रिकार्ड में मुझ प्रार्थी का नाम बालुआ के स्थान पर कालुआ सहवन से हो गया है। दिनांक 10.12.21 को जब हम प्रार्थी अपनी बैंक शाखा में अपनी KCC की फाइल को लेकर पहुँचे तो शाखा प्रबन्धक ने हमें जानकारी दी कि या तो आप राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने पहचान दस्तावेज के अनुसार अपना नाम एक समान दर्ज करा लो नहीं तो हम आपका KCC कार्ड नहीं बनायेंगे। इससे व्यथित होकर वादी द्वारा यह वाद पत्र न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाद युक्त आराजी में खातेदार का दर्ज नाम कालुआराम को खारिज कर बालुआराम नाम दर्ज किया जाने हेतु तहसीलदार उज्जैन को निर्देशित किया जावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक/LR/22/977 दिनांक 22-4-22 के द्वारा जवाब पेश किया साथ ही वादी की ओर से PW-1 बालुआराम एवं PW-2

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | केशीराम द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये।<br>मेरे द्वारा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 एवं तहसीलदार उच्चैन द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि बलुआराम पुत्र भगवानसिंह कौम जाट निवासी मामरौली के सन्दर्भ में जाँच कराई गई मुताबिक जाँच पटवारी हल्का के वर्तमान जमाबन्दी में कलुआ दर्ज है जबकि कलुआ नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मामरौली में नहीं है। वर्तमान में कलुआराम जमाबन्दी में दर्ज है जो कि गलत है इसका सही नाम बलुआराम है। उक्त पत्रांक के आधार पर वादी का नाम कलुआ से बलुआराम शुद्ध करने में कोई राजस्व हानि नहीं है।<br>अतः तहसीलदार उच्चैन के पत्रांक क्रमांक LR/22/977 दिनांक 22-4-22 एवं PW-1, PW-2 के शपथ पत्र के आधार पर तहसीलदार उच्चैन को निर्देशित किया जाता है कि वे आराजी खसरा नं. $\frac{218}{1.62}$, $\frac{497}{0.11}$, $\frac{512}{0.30}$, $\frac{624}{0.41}$ वाके ग्राम नैहराब्राह्मण प. ह. उच्चैन में वादी के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजद कर कलुआ के स्थान पर बलुआराम किया जावे। जयी डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>उच्चैन (भरतपुर) | बलुआराम |